न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 78/2018

जसवंतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी बाण्डा तहसील अनूपगढ हाल 9 के.एन.डी.तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना।
2. जीतो बाई पत्नी जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी 9 के.एन.बी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 23.05.2018

उपस्थितिः–

श्री रमेशसिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता
श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

निर्णय दिनांक 28.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट/वादी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. 212 का प्रा.पत्र पेश कर अप्रार्थी के विरूद्ध वाद के निर्णय तक चक 8 के.एन.डी. बी के प.नं. 32/34 मु.नं. 20 के कि.नं. 1 से 13 की 3.100हे0 भूमि में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करने एवं उक्त भूमि को रहन, बैय आदि से मुन्तकिल नहीं करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी विवादित भूमि की खातेदार है। जंगीरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में कोई भूमि नहीं है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 23.05.2018 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

28/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि यदि वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि को आगे बेचान व हस्तांतरण हो जाता है तो अपीलांट के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। रेस्पों. द्वारा दौराने स्थगन भूमि का बेचान किया गया है। इससे रेस्पों. के आचरण का पता चलता है कि वह भूमि को बेचान करने की फिराक में है। यदि भूमि आगे हस्तांतरण हो जाती है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ेगा। अधी. न्यायालय ने अपीलांट का प्रा.पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. के नाम से खातेदारी है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत भूमि की key person जीतो बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं यह राजस्व विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब तक कोई अपरिहार्य कारण नहीं हों तो अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रा.पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर